न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–02, मथुरा।

मुकदमा अपराध सं०–31227/2022

गजराज सिंह बनाम श्रीमती लक्ष्मी आदि

थाना–फरह, जिला–मथुरा

दिनांक-23.07.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 28.09.2022 से लगातार धारा 200 द०प्र०स० के बयान हेतु नियत चली आ रही है किन्तु परिवादी किसी भी तिथि को उपस्थित नही आया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2023 से लगातार परिवादी को अन्तिम अवसर दिया गया है उसके उपरान्त भी नियत तिथियों पर परिवादी उपस्थित नही आया है न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की मुकदमा में रूचि नही है। ऐसी स्थिति में परिवाद बलहीन होने एवं साक्ष्य के अभाव में विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। परिवाद अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०स० खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०स० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

(सत्यप्रकाश नारायण तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या-02, मथुरा।
JO Code–UP3356